भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/290

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.209/21-02-067/2025-26 नवम्बर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2

बी. प्रयोज्यता 2

सी. परिभाषाएं 2

अध्याय II – यूसीबी द्वारा लाभांश की घोषणा 3

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 4

ए. निरसन और बचत 4

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं 4

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के साथ पठित अधिनियम की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक-लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होने के तत्काल से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश शहरी सहकारी बैंकों (जिसे आगे से सामूहिक रूप से 'यूसीबी' और वैयक्तिक रूप से 'यूसीबी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

   इस संदर्भ में, शहरी सहकारी बैंकों से आशय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीवी) के तहत परिभाषित प्राथमिक सहकारी बैंकों से होगा।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, यहां दिए गए शब्दों का आशय निम्नानुसार होगा।

   (i) 'सीआरएआर' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक- पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के संदर्भ में गणना की गई जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) है।

   (ii) 'लाभांश' में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।

   (iii) 'निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) अनुपात' का अर्थ है एनएनपीए का निवल अग्रिमों का अनुपात।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लागू अधिनियमों, उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत दिया गया है, अथवा किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II – यूसीबी द्वारा लाभांश की घोषणा

6. यूसीबी लाभांश घोषित कर सकते हैं बशर्ते वह निम्नानुसार शर्तों को पूरा करते हों:

(i) यह लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता का अनुपालन करेगा;

(ii) सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद एनएनपीए अनुपात पांच प्रतिशत से कम होगा, (अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार आवश्यक प्रावधानों सहित), उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है;

(iii) जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) / सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई है;

(iv) एनपीए, निवेश और अन्य आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण और लेखा मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

(v) लाभांश का भुगतान उस वित्तीय वर्ष के निवल लाभ से किया जाएगा, जिसके लिए लाभांश का भुगतान किया जा रहा है, सभी सांविधिक और अन्य प्रावधान करने और संचित हानि के लिए पूर्ण रूप से समायोजन के उपरांत।

7. अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने, ऐसे प्रावधान को वापस लेने पर बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान, और भारत सरकार की गारंटी वाले लोन और सिक्योरिटी रिसीट्स के स्थानांतरण से होने वाले अवास्तविक लाभ के मामले में सावधानी बरतने से जुड़े नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – क्रेडिट रिस्क का स्थानांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होंगे।

8. यदि कोई यूसीबी, एनएनपीए अनुपात [जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 (ii) के तहत निर्धारित किया गया है] को छोड़कर पैरा 6 में विनिर्दिष्ट सभी मानदंड का अनुपालन कर और लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो इसकी घोषणा की अनुमति के लिए वह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करेगा बशर्ते कि एनएनपीए अनुपात दस प्रतिशत से कम हो।

9. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, यूसीबी निदेशक मंडल अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करेगा, जबकि लागू पूंजी आवश्यकताओं, लागू पूंजी आवश्यकताएं और प्रावधानों की पर्याप्तता पर विचार करेगा, जिसमें आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

10. इन निर्देशों के जारी होने के साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले लाभांश की घोषणा से जुड़े विवेकपूर्ण नियमों के मौजूदा निर्देश और दिशानिर्देश रद्द माने जाएंगे, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि. आरआरसी. आरईसी.302/33-01-010/2025-26 में बताया गया है। इन निर्देशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निर्देश और दिशानिर्देश रद्द ही रहेंगे।

11. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निर्देशों या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली कोई भी कार्रवाई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई, उन्हीं के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत संचालित मानी जाएंगी। साथ ही, इन निर्देशों या दिशानिर्देश को निरस्त करने से किसी भी तरह से इन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा:

(i) उसके तहत हासिल किया गया, बना या लागू हुआ कोई भी अधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी;

(ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा;

(iii) ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, ज़िम्मेदारी, जुर्माने, ज़ब्ती या सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा लगाई जा सकती है, मानो उन निर्देशों या दिशानिर्देश को रद्द न किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

12. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अवहेलना।

सी. व्याख्याएँ

13. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है

और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक